कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः एम0ई0–3/2023/ लखनऊःदिनांक 24 नवम्बर 2023

अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को सेवायोजित किये जाने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश

शासनादेश संख्या–950/71–2–82/2017 दिनांक 07 मार्च 2018 में निहित निर्देशों के कम में नीट पी0जी0 2020 बैच की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनकी ऑल इण्डिया रैंक के आधार पर ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से सेवायोजित किये जाने की कार्यवाही यथाशीघ्र किया जाना प्रस्तावित है।

शासनादेश संख्या–।/342805/2023 दिनांक 04 जुलाई 2023 में निहित निर्देशानुसार नीट पी0जी0 2019 बैच के अभ्यर्थियों, जो वर्ष 2022 में आयोजित काउंसिलिंग के माध्यम से सीनियर रेजीडेण्ट के पद पर पूर्व से सेवायोजित हैं, को प्राथमिकता प्रदान करते हुए काउंसिलिंग की कार्यवाही की जायेगी।

उक्त काउंसिलिंग हेतु महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश निम्नलिखित हैं:–

- **काउंसिलिंग हेतु समय–सारिणी पृथक से वेबसाईट www.dgme.up.gov.in पर प्रदर्शित की जायेगी।**
- **चिकित्सा अनुभाग–8 के शासनादेश संख्या–3110/पांच–8–2020–जी(137)/ 2018 दिनांक 09.12.2020 के प्रस्तर–3 में निहित निर्देशों के कम में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों (वेटेज/नॉन वेटेज) को सीनियर रेजीडेण्टशिप अनुमन्य नहीं होगी।**
- सीटों का आवंटन रिक्त सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थी की ऑल इंडिया रैंक, श्रेणी, विकल्प के आधार ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।
- ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को वेबसाईट **www.dgmeonlineposting.upsdc.gov.in** पर log-in करते हुए अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यदि पंजीकरण के समय प्रदर्शित ऑल इण्डिया रैंक में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है, तो अभ्यर्थी पंजीकरण की निर्धारित अवधि में ही व्यक्तिगत रूप से महानिदेशालय में उपस्थित होकर सुसंगत अभिलेखों सहित सूचित करेंगे। पंजीकरण प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।
- **आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही देय होगा।** उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- **आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे। भारत सरकार हेतु निर्धारित प्रारूप पर आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।**
- **अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र दिनांक 01.4.2023 अथवा उसके बाद का ही मान्य होगा।**
- शासनादेश संख्या–85/2019/2625/71–1–2019–जी– 71/2011टी0सी0 दिनांक 16 अक्टूबर 2019 द्वारा प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में कार्यरत जूनियर एवं सीनियर रेजीडेण्ट चिकित्सकों के वेतनमान में अभिवृद्वि/संशोधन करते हुए जूनियर रेजीडेण्ट को ग्रेड वेतन रू0 5400/– तथा सीनियर रेजीडेण्ट को ग्रेड वेतन रू0 6600/– तथा अन्य अनुमन्य भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर अनुमन्य किया गया हैं।

उक्त से स्पष्ट है कि प्रदेश के राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेजों/संस्थानों में कार्यरत जूनियर रेजीडेण्ट/सीनियर रेजीडेण्ट की वार्षिक आय रू0 8.00 लाख से अधिक होती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (E.W.S.) से संबंधित शासनादेश द्वारा निर्धारित अर्हता की परिधि में नहीं आते हैं। अतः उक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सीनियर रेजीडेण्ट के रिक्त पदों की ई0डब्लू0एस0 श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया है तथा उक्त काउंसिलिंग हेतु किसी भी अभ्यर्थी को ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

- आरक्षण का लाभ लेने हेतु आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र पंजीकरण के समय अपलोड करना अनिवार्य है।
- **आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाईन सत्यापन के समय यदि सुसंगत नहीं पाया गया अथवा निर्धारित प्रारूप पर न होने की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत सीट आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।**
- **ऑनलाईन काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों की च्वाईस फिलिंग निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात Auto Lock कर दी जायेगी।**
- **नीट पी0जी0 2018 बैच के अभ्यर्थी इस काउंसिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।**
- **ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में फेलोशिप/पी0डी0सी0सी0 अथवा अन्य समकक्ष पाठ्यक्रमों में इस कार्यालय से अनापत्ति प्राप्त कर, अध्ययनरत हैं, इस काउंसिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।**
- **काउंसिलिंग के समय अथवा काउंसिलिंग के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा भ्रामक/कूटरचित अभिलेखों के आधार पर आवंटन प्राप्त कर लिया गया है, तो उसका आवंटन निरस्त करते हुए उसके विरूद्व आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।**

<u>नीट पी0जी0 2019 बैचः—</u>

- **नीट पी0जी0 2019 बैच के ऐसे अभ्यर्थी, जो अपने वर्तमान आवंटन स्थल मे परिवर्तन के इच्छुक नहीं हैं, उन्हे काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने की आवश्यकता नहीं है।**
- **नीट पी0जी0 2019 बैच के ऐसे अभ्यर्थी, जो दिनांक 06.10.2023 एवं 09.10.2023 को आयोजित काउंसिलिंग के माध्यम से सहायक आचार्य के पद पर आवंटन प्राप्त कर चुके हैं, इस काउंसिलिंग में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं होंगे।**
- नीट पी0जी0 2019 बैच के अभ्यर्थियों को वर्ष 2022 में आयोजित काउंसिलिंग के माध्यम से पूर्व में ही सेवायोजित किया जा चुका है। इस बैच के इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों को दिनांक 06.10.2023 एवं 09.10.2023 को आयोजित काउंसिलिंग के माध्यम से सहायक आचार्य के पद पर भी आवंटन प्रदान किया जा चुका है साथ ही प्रश्नगत काउंसिलिंग में भी 2019 बैच के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए सीट चुनने का विकल्प प्रदान किया जा रहा है। अतः नीट पी0जी0 2019 बैच हेतु आयोजित की जाने वाली काउंसिलिंग में उपलब्ध आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों को अनारक्षित श्रेणी में Merge नहीं किया जायेगा।
- **उक्त आयोजित की जाने वाली काउंसिलिंग से नीट पी0जी0 2019 बैच के आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को नई आवंटित सीट पर योगदान देना अनिवार्य होगा। नई सीट आवंटित होने पर पूर्व में आंवटित सीनियर रेजीडेण्ट की सीट पर अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा, जिस पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नही होगा।**

नीट पी0जी0 2020 बैचः–

- **नीट पी0जी0 2020 बैच के समस्त अभ्यर्थियों (पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों (वेटेज/नॉन वेटेज) को छोड़कर) को उक्त काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा।**
- नीट पी0जी0 2019 बैच के अभ्यर्थियों द्वारा रिक्त की जाने वाली सीटों को सम्मिलित करते हुए आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।
- शासनादेश संख्या–I/204130/2022 दिनांक 23 अगस्त 2022 में निहित निर्देशों के कम में आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी न होने की दशा में नीट पी0जी0 के नीति निर्धारण संबंधी शासनादेश संख्या–I/348793/2023 दिनांक 13 जुलाई 2023 में निहित निर्देशानुसार आरक्षित श्रेणी की यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है, तो रिक्त सीटों को निम्नांकित तालिका के अनुसार आमेलित करते हुए आवंटन प्रक्रिया सम्पनन की जायेगीः–

CONVERSION ALGORITHM

S.No.	Conversion Category	Category converted to
1	ST	SC
2	SC	UR
3	OBC	UR

- Merger के लिए उपलब्ध सीटों को Virtual Vacancy के रूप में प्रदर्शित किया जायेगा।
- अद्यतन सूचनाओं हेतु विभागीय वेबसाइट www.dgme.up.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

(किंजल सिंह)
महानिदेशक।

संख्याः एम0ई0–3/2023/2802 तद्दिनांक/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–चार।
2. समस्त सदस्य, काउंसिलिंग बोर्ड।
3. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0/यू0पी0यू0एम0एस0, सैफई/निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई लखनऊ/डा0 मनोहर लोहिया, लखनऊ/मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, आगरा/राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा/पी0जी0आई0सी0एच0, नोएडा/सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ/होमी भाभा कैंसर हास्पिटल, वाराणसी/प्रधानाचार्य समस्त राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेज, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को नोटिस बोर्ड एवं कालेज की बेवसाईट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करे।
4. शिविर सहायक, महानिदेशक कैम्प, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ, उ0प्र0।

(किंजल सिंह)
महानिदेशक।